संख्या-11/2015/97/71-आयुष-2-2014/40(बी)/2014

प्रेषक,

राजकुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक
होम्योपैथी
उ0प्र0,लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक जनवरी 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-34 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत मानक मद 25-लघु निमार्ण कार्य एवं 29-अनुरक्षण से सम्बन्धित स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-529/71-आयुष-2014-15 (बी)/2014 दिनांक 15.04.2014 के क्रम में आपके पत्रांक-नि0हो0/1041/बजट/ स्टीमेट/2014-15/14938 दिनांक 12.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद सिद्धार्थनगर,झॉसी, महराजगंज एवं कानपुर के शहरी क्षेत्र के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों/जिला होम्योपैथिक कार्यालयों/जिला होम्योपैथिक अस्पतालों आदि के भवन मरम्मत हेतु 25-लघु निर्माण कार्य एवं 29-अनुरक्षण मद में कुल रूपये 13,62,204/-(तेरह लाख बासठ हजार दो सौ चार रूपये मात्र) की स्वीकृति निदेशक, होम्योपैथी के निवर्तन पर रखते हुए (संलग्न विवरण के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

1- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

2- स्वीकृति धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस- 16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3 -व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4-स्वीकृति धनराशि व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दी गयी शर्तों की पूर्ति और वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

6- व्यय उन्ही मदों में किया जाय,जिनके लिए प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

7- उक्त वित्तीय स्वीकृति के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा अनुश्रवण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

8- उक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त स्वीकृति को वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-34 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-अयोजनेत्तर-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-08-होम्योपैथिक चिकिसालय-25 लधु निर्माण कार्य एवं लेखा शीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोनेत्तर-02-शहरी स्वास्थ सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-102-होम्योपैथी-04-अस्पताल और औषधालय-0401- होम्योपैथिक चिकित्सालय-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय
(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2015/97(1)/71-आयुष-2-2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,होम्योपैथिक निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर,झाँसी, महराजगंज एवं कानपुर ।

4- कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर,झाँसी, महराजगंज एवं कानपुर ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।